Serial No & Date of issue :- ------------------------------------

Envelope "B"

शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी समिति) सागर (म.प्र.)

website :- www.bmcsagar.deu.in
Email :- bmcsagar@mp.gov.in

फोन नं. 07582–236270
फैक्स नं. 07582–236457

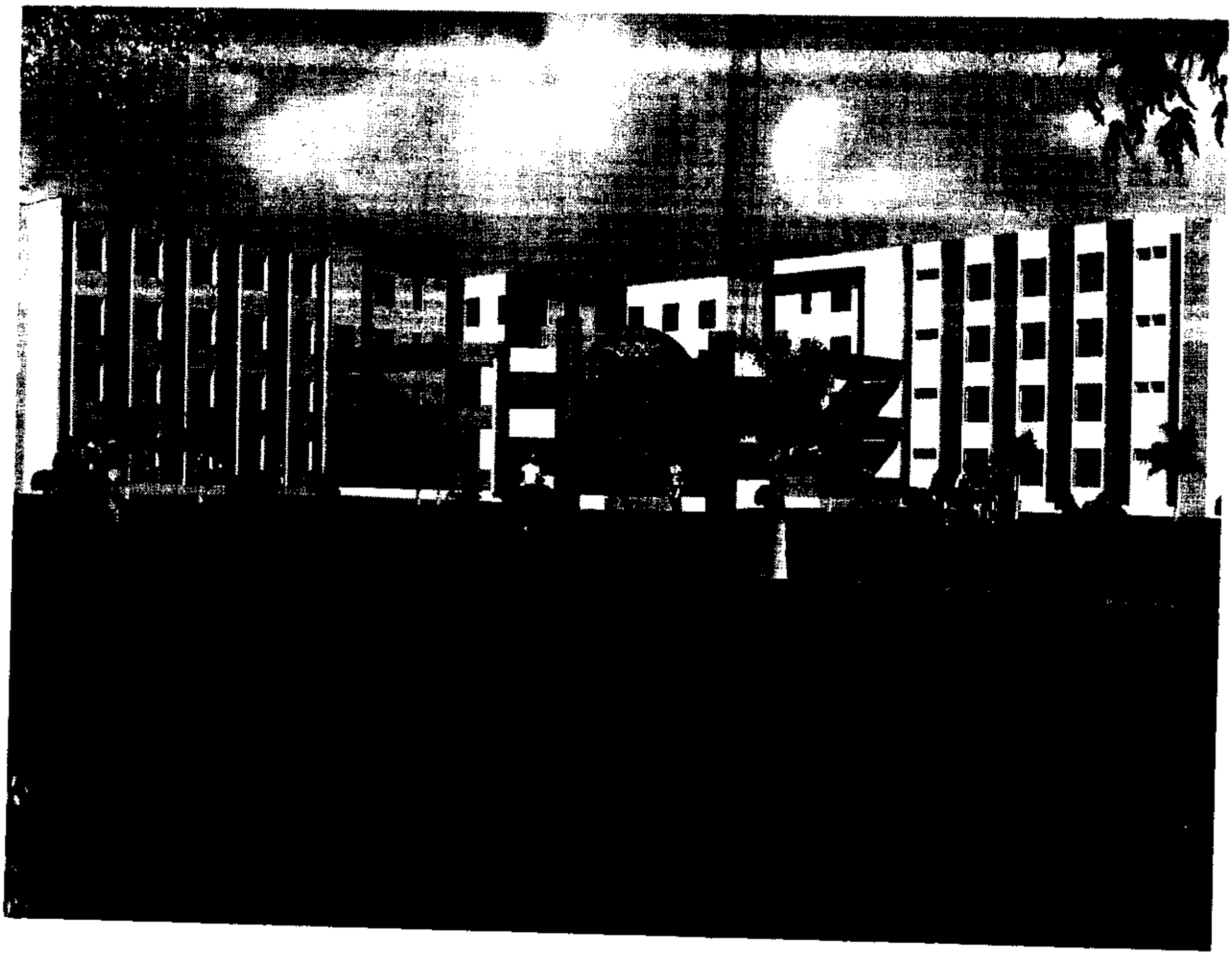

ओपीडी वाहन स्टैण्ड हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

पृष्ठ क्रं. 01 से 11 तक

निविदा मूल्य रु. 500/–
(नॉन रिफण्डेबल)

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. **कार्य का नाम :–**

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड की निविदा जिसमें समस्त वाहनों को पार्किंग स्थल में निर्धारित तरीके से व्यवस्थित कराना एवं उनकी देख–रेख करना सम्मिलित है।

2. **निविदा धरोहर राशि :–**

निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम रु. 10,000.00 (रु. दस हजार मात्र) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. जो अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में देय (निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर नियमानुसार तुरंत वापिस की जाएगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य : निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु. 500/– वापिसी योग्य नहीं है।

3. **निविदा की समयावधि :–**

अनुबंध के अनुसार निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर महाविद्यालय की क्रय/कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर वाहन स्टैण्ड निविदा आगामी एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु बढ़े हुए वर्ष हेतु निविदा, स्वीकृत निविदा राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मान्य होगी। निविदा की अवधि, कुल दो वर्ष से अधिक नहीं की जा सकेगी।

4. **निविदा का प्रारुप एवं प्रस्तुति विधि :–**

निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में स्याही या टाईप से भरा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwritting) मान्य

निविदा फार्म तीन हिस्सों में प्रस्तुत किया जाना है, तीनों हिस्से अलग अलग सील बंद तीन लिफाफों के साथ एक बढ़े लिफाफे में रखकर उसके ऊपर वाहन स्टैण्ड व्यवस्था निविदा वर्ष 2015–16 लिखकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रथम लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) लिखकर उसके अंदर सिर्फ कार्य की अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) की एफ.डी.आर. रखें। इस लिफाफे को "A" नाम देवें। द्वितीय लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं तकनीकि निविदा लिखकर उसके अंदर निविदा फार्म एवं आवश्यक संलग्नक अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर रखें। इस लिफाफे को "B" नाम देवें। तृतीय लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं वित्तीय निविदा लिखकर उसके अंदर कार्य निविदा दर निर्धारित परिशिष्ट में भरकर अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर सील बंद लिफाफे में रखें। इस लिफाफे को "C" नाम देवें।

उपरोक्त तीनों सील बंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर उसके ऊपर "महाविद्यालय की वाहन स्टैण्ड व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2015–16" लिखकर निविदा प्रस्तुत करना चाहिए। प्रत्येक लिफाफों पर निविदादाता का नाम व पता अवश्य लिखा होना चाहिए।

5. **निविदा प्रपत्र का विक्रय :–**

निविदा प्रपत्र अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालयीन दिवस एवं समय (प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक) पर दिनांक 19.10.2015 तक प्राप्त किए जा सकते है। साथ ही इंटरनेट सेभी हमारी बेवसाईट **www.bmcsagar.edu.in** से चालान फार्म डाउनलोड कर, भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में निविदा शुल्क जमा कर, निविदा डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। किन्तु डाउनलोड निविदा जमा करते समय निविदा शुल्क चालान/बैंक ड्राफ्ट (निविदा/बैंक डाफ्ट की अंतिम तिथि तक की मान्य है) की मूल कार्यालयीन प्रति आवश्यक रुप से, जमा करानी होगी अन्यथा आपकी निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी।

वाहन पार्किंग स्थल का भौतिक निरीक्षण आपके द्वारा, कार्यालयीन समय में चिकित्सालय परिसर में आकर किया जा सकता है।

6. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :–**

निर्धारित प्रपत्र मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर "महाविद्यालय परिसर की वाहन स्टैण्ड निविदा वर्ष 2015–16" अंकित कर अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालय में दि. 23.10.2015 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निर्धारित समयावधि पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

7. **निविदा खोलने की तिथि :–**

दिनांक 23.10.2015 को दोपहर 12:30 बजे अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदादाता अथवा निविदादाता फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष

निविदाऍ खोली जाएगी। संपूर्ण कार्यवाही पंजी में इन्द्राज की जाएगी, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाएगें। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा निविदा खोलने की तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। विशेष परिस्थिति को छोड़कर तीनों निविदाऍ एक ही दिन खोली जाएगी। प्रथमतः धरोहर राशि की लिफाफा खोला जाएगा। तथा जिन निविदादाताओं की धरोहर राशिनियमानुसार उचित पाई जाएंगी। उन्हीं निविदादाताओं की तकनीकि निविदाऍ खोली जाएंगी एवं जो निविदादाता तकनीकि अहर्ता रखते होंगे उन्हीं की वित्तीय निविदा खोली जाएंगी। किसी भी निविदा के अमान्य होने पर, उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निविदादाता फर्म/संस्था का होगा।

विशेष परिस्थिति को छोड़कर, अधिकतम वित्तीय दर, प्रदाता निविदादाता फर्म को महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय के वाहन स्टैण्ड निविदा हेतु चयनित किया जाएगा।

विशेष परिस्थिति में अधिष्ठाता महोदय चाहे तो न्यूनतम निविदादाता फर्म (यदि वह उचित समझें) को भी महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय के वाहन स्टैण्ड निविदा हेतु चयनित किया जा सकेगा। जो कि सभी निविदादाताओं को मान्य होगा।

8. **निविदा का परीक्षण एवं विश्लेषण :–**

समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गए सभी अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जाएगा। जिस निविदादाता की वित्तीय निविदा दर अधिकतम होगी, उसे चयनित किया जाएगा। यदि एक से अधिक निविदादाता की अधिकतम दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में जिस निविदाकार वाहन स्टैण्ड व्यवस्था का शासकीय संस्थानों से संबंधित अनुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा कि कम या अधिक दरों को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम होगा। निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में बगैर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को होगा।

9. **अनुबंध :–**

सफल निविदाकार को अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के साथ एक वर्ष के लिए महाविद्यालय के चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड व्यवस्था कार्य हेतु अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्टाम्प पेपर रु.1000/– एवं नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं व्यय करना होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर, फर्म के आवेदन एवं क्रय/कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर, निविदा अवधि आगामी एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। बढ़े हुए वर्ष हेतु निविदा, स्वीकृत निविदा राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मान्य होगी। किन्तु किसी भी परिस्थिति में निविदा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10. **वाहन स्टैण्ड कार्य का वर्गीकरण एवं अनिवार्य शर्ते (स.क्रं. 1 से 18 तक) :–**

1. अधिकतम वित्तीय दर प्रदान करने वाली फर्म से, अनुबंध संपादित कर, ओपीडी वाहन पार्किंग कार्य निम्न शर्तो के साथ प्रदान किया जाएगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर निविदा अवधि, फर्म के आवेदन एवं क्रय/कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर, स्वीकृत वित्तीय दर में 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ, आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु किसी भी परिस्थिति में निविदा अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम वित्तीय दर प्रदान करने वाली फर्म प्रस्तावित वित्तीय राशि का 50 प्रतिशत अनुबंध के साथ एवं 25 प्रतिशत राशि प्रथम दो माह में, शेष 25 प्रतिशत राशि चौथे माह में जमा कराना अनिवार्य होगा। अधिकतम दर प्रदायकर्ता फर्म को एक सप्ताह के अंदर अनुबंध निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। एक सप्ताह में अनुबंध नहीं कराने पर द्वितीय निविदाकार फर्म से अनुबंध कराने के लिए अधिष्ठाता स्वतंत्र होंगे।

2. अनुबंध करने की तिथि से प्रथमतः आपको महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सालय की ओपीडी में आने वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल में क्रमबद्ध तरीके से लगाना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों/चिकित्सकों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थित वाहन पाए जाने पर, आपके विरुद्ध अर्थदण्ड शस्ति लगाई जा सकती है अथवा आपकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

3. ओपीडी चिकित्सालय में, पार्किंग व्यवस्था त्रिभागीय होगी उक्त तीनों भागों की वाहन पार्किंग व्यवस्था आपकी देख–रेख में होगी, पार्किंग के प्रथम भाग में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों/स्टाफ के वाहन रखे जाएंगे, द्वितीय भाग में छात्रों के वाहन रखे जाएंगे तथा तीसरे एवं अंतिम भाग में मरीजों के आने वाले परिजनों/मरीजों/आगुन्तकों के वाहन रखे जाएंगे। प्रथम दो भाग की पार्किंग व्यवस्था निःशुल्क होगी। तीसरे भाग से आप, वाहन पार्किंग शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

4. चिकित्सालय में आने वाले मरीजो/परिजन के वाहनों से पार्किंग स्थल में लगवाने का शुल्क निम्नानुसार रहेगा :–

क्रं.	वाहन	दर
(अ)	दो पहिया रजिस्टर्ड वाहन :–	**पॉच रु. प्रति वाहन (24 घण्टे या उसके भाग)**
(ब)	चार पहिया रजिस्टर्ड वाहन :–	**दस रु. प्रति वाहन (24 घण्टे या उसके भाग)**
(स)	विकलांग वाहन :–	**निशुल्क**
(द)	सायकिल :–	**निःशुल्क**
(य)	शासकीय वाहन/स्टाफ :–	**निःशुल्क**

5. वाहन स्टैण्ड पार्किंग में चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों/कर्मचारियों/छात्रों के वाहन पार्किंग पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। उक्त वाहनों के अतिरिक्त शासकीय वाहन एवं शासकीय कार्यालय में अनुबंधित वाहन भी पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेंगे। शुल्क मुक्ति हेतु संबंधित चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों/कर्मचारियों/छात्रों का, महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य किया जाएगा।

6. निविदादाता फर्म द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों को निश्चित वर्दी एवं उनके नाम की पट्टी प्रदान की जाएगी। फर्म के कर्मचारियों को उसे पहनकर आना अनिवार्य होगा।
7. अनुबंधित फर्म को वाहन पार्किंग व्यवस्था हेतु न्यूनतम छः कर्मचारी प्रति दिन लगाया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न पाए जाने पर निविदादाता की निविदा अस्वीकृत एवं सुरक्षा निधि राजसात की जा सकती है। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

8. निविदादाता फर्म को स्वयं के व्यय से ओपीडी में निर्धारित पार्किंग स्थल में, पेड पार्किंग स्टाफ पार्किंग/स्टूडेंट पार्किंग का बोर्ड एवं दर राशि का बोर्ड लगवाकर चस्पा कराना अनिवार्य होगा। बोर्ड में फर्म का नाम निविदा की अवधि भी उल्लेखित की जानी होगी।

9. निविदादाता फर्म का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह, चिकित्सालय में आने वाले ऑटों अथवा अन्य मरीज वाहन इत्यादि को मरीज आने के उपरांत यथाशीघ्र ओपीडी परिसर से बाहर निकालेंगे।

10. निविदादाता फर्म द्वारा की जा रही वाहन स्टैण्ड व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पायी जाती है अथवा स्वयं उक्त व्यवस्था करने में असफल होता है या वह स्वयं ठेका छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के ठेका समाप्त कर दिया जाएगा तथा शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार को दिया जा सकेगा। संधारण ठेके पर यदि कम राशि प्राप्त करनी पड़ी तो निविदा की अंतर की राशि प्रथम निविदादाता फर्म की अग्रिम धरोहर राशि से कटौत्रा कर वसूलया अग्रिम धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

11. ठेकेदार द्वारा वाहन स्टैण्ड व्यवस्था हेतु नियुक्त किए कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष सामान्यतः होना चाहिए। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर लागू होने वाले अधिनियम जैसे– श्रम विभाग अधिनियम, कर्मचारी भविष्य अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, न्यूनमतम वेतन अधिनियम इत्यादि का पालन कराना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा।

12. निविदादाता फर्म को नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सूची नाम, पता, फोटो सहित इस कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। निविदादाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करें जो, चिकित्सालय में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों से शांत एवं मृदु व्यवहार करे एवं आने वाले वाहनों को शांति से पार्किंग स्थल में लगवाये।

13. निविदादाता फर्म को, पार्किंग स्थल में लगने वाले वाहन मालिकों को अदा शुल्क एवं वाहन रखने की रसीद (स्लिप) प्रदान करना अनिवार्य होगा। जिसमें वाहन रखने की तिथि, समय एवं वाहन रजिस्टेशन नंबर इन्द्राज किया जाना अनिवार्य होगा।

14. वर्तमान में महाविद्यालय की ओपीडी में लगभग 1000 मरीज प्रतिदिन आ रहे है। साथ ही महाविद्यालय के चिकित्सालय में लगभग 500 मरीज इनडोर है। भविष्य में लगभग 2000 मरीज ओपीडी में तथा 750 मरीज इनडोर होंगे। वाहन पार्किंग, ओपीडी निर्धारित समय प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 अधिक रहेगी। इसके अतिरिक्त वाहन पार्किंग में वाहन 24 घंटों या अधिक समय के लिए लगाना आपका उत्तरदायित्व होगा। क्योंकि

इनडोर मरीजों के परिजन, देर रात अथवा रात भर महाविद्यालय परिसर में रह सकते है। अतः उनके वाहन, पार्किंग स्थल में 24 घंटों में से कभी भी लगाए जा सकेंगे।

15. वाहन पार्किंग स्टैण्ड में लगाए गए वाहनों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी, निविदादाता फर्म की होगी। अतः वाहन चोरी/खराब हो जाने पर, वाहन मालिक एवं निविदादाता फर्म के बीच विवाद होने पर, निराकरण निविदादाता फर्म एवं वाहन मालिक आपस में सुलझाएंगे। महाविद्यालय प्रशासन ऐसे मामलों में पूरी तरह निष्पक्ष रहेगा। वह न तो निविदादाता फर्म और न ही वाहनमालिक के प्रति उत्तरदायी होगा।

16. वाहन स्टैण्ड निविदादाता फर्म के कार्यकाल में यदि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो उस शिकायत का निराकरण अधिष्ठाता महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं फर्म पर बंधनकारी होगा।

17. निविदादाता फर्म को निविदा की समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा, किसी भी एक शर्त/शर्तो के उल्लघंन करने पर फर्म की निविदा निरस्त एवं जमा सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा। अधिष्ठाता एवं अधीक्षक चाहे तो वह निविदा शर्तो के उल्लघंन पर, निविदादाता फर्म पर आर्थिक दण्ड अधिकतम राशि रु. 20000/- तक प्रति एक प्रकरण अर्थ शस्ति लगा सकते है। जिसकी वसूली निविदादाता द्वारा जमा सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी।

18. चिकित्सा महाविद्यालय, किसी भी शहर की सम्मानीय संस्था (Reputed Institute) होती है इसलिए व्ही.आई.पी./व्ही.व्ही.आई.पी. जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा उक्त संस्था का कभी भी निरीक्षण किया जाना निश्चित है। ऐसी स्थिति में आपकी पार्किंग व्यवस्था में कोई भी कमी पाई जाती है तो स.क्रं. 18 के अनुसार अर्थ दण्ड लगाया जाएगा।

11. निविदा हेतु आवश्यक संलग्नकों की सूची :-

प्रदाय निविदा प्रपत्र, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील हो निम्न संलग्नकों के साथ (संलग्नकों पर स्वयं के हस्ताक्षर करे एवं सील लगाए) एक सील बंद लिफाफें में, जिसके ऊपर ओपीडी वाहन पार्किंग की तकनीकि निविदा **Envelope-"B"** लिखकर, रखें :-

क्रमांक	विवरण	हॉ/नहीं
1	निविदा प्रपत्र फर्म के हस्ताक्षर एवं सील सहित	
2	निविदादाता संस्था/फर्म का श्रम विभाग में पंजीयन/अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र	
3	निविदादाता का स्थाई लेखा क्रमांक (पेन)	
4	निविदादाता फर्म को आयकर चुकता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2014-15	
5	संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं अन्य सामग्री लेटर हैड पर जानकारी आवश्यक है।	
6	किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने एवं दी गई जानकारी सत्य होने संबंधी 10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र	
7	अन्य यदि कोई हो तो	

नोट :- 1. उपरोक्त समस्त संलग्नकों की छायाप्रतियॉ स्वयं सत्यापित एवं फर्म की सील लगाकर, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में निविदादाता संस्था/फर्म की निविदा को तकनीकि अहर्ता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

2. निविदादाता फर्म/संस्था के पास उक्त समस्त दस्तावेजों को होना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में निविदादाता संस्था/फर्म की निविदा को तकनीकि अहर्ता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

(10 रु. के स्टाम्प पर घोषण पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

घोषणा पत्र

मैं. .... (निविदादाता का नाम/फर्म का नाम) पता .... शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मैंने पूर्ण होश एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्ते पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्ते पूर्णतः मंजूर है। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाऍ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। साथ ही हमारी फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्थानों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :– ....
   पता :– ....
   ....
2. पूरा नाम :– ....
   पता :– ....
   ....

वाहन निविदा हेतु कर्मचारी एवं सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र

मैं. .... पुत्र श्री .... उम्र .... (निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म .... पता .... यह प्रमाणित करता हूँ। कि यदि हमारी फर्म को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय के वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु निविदा प्रदान की जाती है, तो हमारी फर्म, महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समुचित संख्या में कर्मचारी एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएँगें।

हस्ताक्षर ....

संचालक/व्यवस्थापक का नाम ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पूर्ण पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

श्रीमान अधिष्ठाता,
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)।

विषय :– महाविद्यालय से संबद्ध ओपीडी/चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड की वित्तीय निविदा प्रदान करने बावत्।

आपके द्वारा .... (समाचार पत्र का नाम) में दि. .... को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में, मैं से संबद्ध ओपीडी/चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड हेतु निविदा निम्नानुसार वित्तीय निविदा प्रस्तुत करता हूँ। मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्ते मान्य है।

वाहन पार्किंग स्टैण्ड की वित्तीय निविदा दर

क्रमांक	विवरण	निविदा दर (रुपयों में)
01	एक वर्ष के वाहन स्टैण्ड हेतु बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय को एकमुश्त जमा की जाने वाली अधिकतम राशि की वित्तीय दर **(समस्त कर सहित)**	

विशेष :– निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्ते मैंने पढ़ ली है और वह मुझे पूर्णतः स्वीकार्य है। उक्त निविदा दर नियमानुसार मेरे द्वारा एकमुश्त जमा की जाएगी।

निविदादाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :– ....
....

दूरभाष/फैक्स क्रं. :– ....

मोबाइल नं. :– ....

निविदादाता फर्म प्रमुख के हस्ताक्षर :– ....

निविदादाता फर्म प्रमुख का नाम :– ....

निविदादाता फर्म की सील :– ....

नोट :– **कृपया एक मुश्त दर नियत स्थान पर ही लिखें किसी प्रकार की कांट–छांट, ओवर राइटिंग न करें। कांट–छांट, ओवर राइटिंग करने या उपरोक्त दरों के अलावा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार नोट/शर्ते लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।**